न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:– 12/66/2023 रजू दिनांक: 05.04.2023 रजि0 न0 2023/518

अपीलार्थी:–

श्रीमती जसवंत कौर पत्नी भजन सिंह केयर ऑफ बलदेव सिंह पुत्र चिम्मन सिंह, निवासी सरदार कॉलोनी, ऐरोड्रम रोड़ अलवर, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थी:–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:– 12.06.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 09.02.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 24.04.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर ने जरिये पत्र कमांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2023/695 दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से पत्र की प्रति संलग्न कर जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है की अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना प्रश्नगत अपील में वर्णित सूचना आवेदन में अपीलार्थी द्वारा न्यायालय प्रकरण सं0 11/54/10 निर्णय दिनांक 05.03.2012, न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर, के संबंध में जानकारी चाही गई है, जो कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 12.10.2018 के अनुसरण में रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के तहत संबंधित न्यायालय में प्रतिलिपि प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त की जा सकती है। तद्नुसार उक्तानुसार अपीलार्थी को विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 12.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(पुखराज सेन)
जिला कलक्टर अलवर (राज0)